

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख  
हुक्म

बनाम... लिश्वराम  
मु.नं. 15/24 C.D

पूराचर

13/6/25 आश्री आषको द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/7/25 को पेश हो। (क्ष)

11/7/25 पत्रावली पेश हुई। वहील धार्थ स्थगित। पत्रावली वाले वहील धार्थ 9-2 दिनांक 12/8/25 को पेश हो। (क्ष)

उपखण्ड अधिकारी  
मंडावर (दौसा)

12/8/25 जीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9/25 को पेश हो। (क्ष)

25/9/25 जीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/10/25 को पेश हो। (क्ष)

30/10/25

आश्री आषको द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.11.25 को पेश हो। (क्ष)

12.11.25

प्रकीर्ण / वहील धार्थ की ओर से आश्री आषको श्री मेधराम प्रीना ने धार्थ वहील धार्थ मिलकर पत्रावली पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.11.25 को पेश हो। (क्ष)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी  
हुए

..... बनाम.....  
फलकन बिरधा राम

मु.नं.- 15/24

किस्म - T.D.

प्राथमिक उपस्थित हुये। प्राथमिक एवं उनके  
वकील ने अदालत बताया कि प्राथी व उपप्राथी  
के मध्य आपसी समझौते से राजीनामा हो  
गया है इसलिए प्राथमिक पक्षावली में कोई  
भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं मुद्दामें को  
Not Press करना चाहते हैं। इस बाबत प्राथमिक  
व उनके वकील द्वारा पक्षावली को Not Press  
किया। प्राथमिक व उनके वकील द्वारा किया गया  
Not Press को स्वीकार किया जाता है एवं  
पक्षावली में कार्यवाही को इती स्तर पर समाप्त  
किया जाता है। पक्षावली में दिनांक 15.3.24  
को जारी अन्तरिम अर्थाई निषेधाज्ञा के प्रकाश  
को समाप्त किया जाता है। पक्षावली कोसल  
शुभाद लेकर साक्षिल इफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)